

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 18.09.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में गढ़वा जिला के सदर अस्पताल परिसर में 50 शय्यावाले अस्पताल भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इतर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 3,93,44,601/- (तीन करोड़ तिरानबे लाख चौवालीस हजार छः सौ एक) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

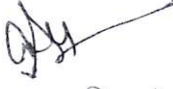
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-237(5)ब योजना दिनांक-29.03.2023 के क्रम में गढ़वा जिलान्तर्गत 50 शय्यावाले सदर अस्पताल के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इतर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 3,93,44,601/- (तीन करोड़ तिरानबे लाख चौवालीस हजार छः सौ एक) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-237(5)ब योजना दिनांक-29.03.2023 द्वारा गढ़वा जिला के सदर अस्पताल परिसर में 50 शय्यावाले भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 24,84,27,500/- (चौबीस करोड़ चौरासी लाख सताईस हजार पाँच सौ) रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना में एकरारनामा के अनुरूप कुल 22,92,60,837/- रुपये आवंटित है।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-1121 (नि०) दिनांक-17.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप भवन निर्माण कराया गया है। इस हेतु कई एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही, कुछ नये कार्य मदों का कार्यान्वयन भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप विभिन्न कार्यमदों में वृद्धि/कमी इत्यादि के आलोक में कुल 3,68,07,600/- रुपये का विचलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

4. तैयार विचलन प्रतिवेदन पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची मुख्यालय में इस कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक-16.03.2026 को सम्पन्न बैठक में जाँचोपरान्त इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

5. कार्य के एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि तथा निगम का संचालन अनुदान की राशि को जोड़ने पर कार्य की कुल लागत राशि 28,77,72,101/-रु० होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 15.83 % अधिक है।

6. योजना की लागत राशि में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रूपये में)
1	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	24,84,27,500.00
2	एकरारनामा की राशि	22,92,60,837.00
3	विचलन की राशि	3,68,07,600.53
4	Price Adjustment as per clause 47 of SBD	97,81,476.73
5	निगम का संचालन अनुदान की राशि	1,19,22,187.00
6	योजना की कुल लागत राशि (2+3+4+5)	28,77,72,101.00
7	प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि की राशि	3,93,44,601.00
8	प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि का प्रतिशत	15.83

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 की कंडिका-4 के अनुसार में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 3,93,44,601/- (तीन करोड़ तिरानबे लाख चौवालीस हजार छः सौ एक) रुपये की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

8. उक्त योजना में अबतक कुल 22,92,60,837/-रुपये आवंटित है। योजना में अतिरिक्त दायित्व राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जाएगा।

9. योजना में होने वाले व्यय का विकलन राज्य योजना अंतर्गत मुख्यशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय -48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110-48-01-05-45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

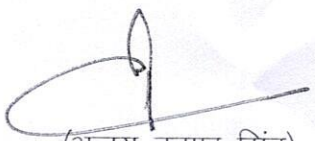
10. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियाँ में करेंगे।

11. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
31(5) या.
18.09.2026


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

15. विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-237(5)ब योजना दिनांक-29.03.2023 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

16. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: -5/पी०-256/2022-31(5)यौ.

राँची, दिनांक: 18.09.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. उपायुक्त, गढ़वा।
3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
4. सिविल सर्जन, राँची/गढ़वा।
5. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
6. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

31(5)यौ.
18.09.2026